

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क०नि०-2-1404/ग्यारह-09(109)/17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश (46)-2017 दिनांक 26-09-17 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि उ०प्र० माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 123 के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल एवं राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन करते हैं जिसे उ०प्र० मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति के रूप में जाना जायेगा। उक्त समिति में निम्नलिखित होंगे -

- (क) आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, राज्य सरकार का एक अधिकारी, और
- (ख) मुख्य आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, केंद्रीय सरकार का एक अधिकारी।

उपरोक्त के क्रम में उ०प्र० मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति में क्रमांक (क) पर सुश्री यशु रुस्तगी, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर/राज्य कर उ०प्र० को नामित किया जाता है।

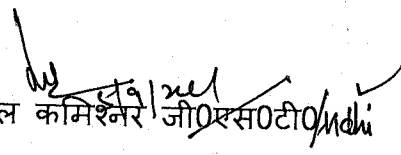


(अमृता सोनी)

कमिश्नर वाणिज्य कर/राज्य कर
उ०प्र० लखनऊ

प्रतिलिपि :-

- 1- अपरमुख्य सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उ०प्र० की सेवा में सूचनार्थ।
- 2- चीफ कमिश्नर जी०एस०टी० तथा सेन्ट्रल एक्साईज लखनऊ जोन, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 3- सुश्री यशु रुस्तगी, एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर/राज्य कर उ०प्र० को सूचनार्थ।
- 4- ज्वाइंट कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर मुख्यालय को वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।


एडीशनल कमिश्नर जी०एस०टी०/मि
वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ